न्यायालयः–प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, डॉ अम्बेडकर नगर जिला–इंदौर म.प्र.

आई.ए. नंबर 05 / 2022
सत्र प्रकरण क्रमांक–71 / 2021
थाना डॉ. अम्बेडकर नगर का अप. क्रं–233 / 2021
अपराध धारा–420, 406, 467, 468, 471, 34 भा.द.सं.

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र डॉ. अम्बेडकर नगर,
तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर
..... राज्य

विरूद्ध

देवेन्द्र पिता प्रदीप ठाकुर,
उम्र– 30 वर्ष,
निवासी– श्रीराम कॉलोनी, धारनाका,
तहसील महू, जिला इंदौर म.प्र.
..... आरोपी

–: आदेश :–

10.02.2022

अभियोजन द्वारा श्री दिनेश पंचोली अपर लोक अभियोजक।

अभियुक्त देवेन्द्र द्वारा श्री एस.डी.पाण्डे अधिवक्ता उप.।

प्रकरण आरोपी देवेन्द्र के प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. आई.ए. नंबर 05 / 2022 पर तर्क हेतु नियत है।

आवेदन पर आरोपी अधिवक्ता व अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना गया।

आरोपी देवेन्द्र की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र **प्रथम जमानत आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0** है, के समर्थन में शपथकर्ता अधिवक्ता स्वदेश दत्त पांडेय ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथपत्र के अनुसार उक्त आवेदन के अलावा अन्य न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, न ही विचाराधीन है।

अभियुक्त देवेन्द्र के आवेदन पत्र के अनुसार आरोपी बेगुनाह है। झूठा फंसाया गया है। सहअभियुक्त अभिषेक को न्यायालय द्वारा

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-6.pdf

जमानत पर तथा सहअभियुक्त दीपक व श्यामसिंह को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है। जमानत पर रिहा हुए आरोपीगण के प्रकरण से इस आरोपी का प्रकरण भिन्न नहीं है। गवाहों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं, लालच आदि नहीं देगा। प्रकरण के अंतिम निराकरण में समय लगने की संभावना है। महू का स्थाई निवासी है। योग्य जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने तर्क के दौरान यह भी प्रकट किया कि आरोपी के द्वारा वाहनों से किराया अनुबंध कर ट्रांसपोर्ट में लगायी गयी थी, किसी भी दस्तावेज की कूटरचना नहीं की गयी है। सहअभियुक्तगण को भी जमानत प्राप्त हो चुकी है। आरोपी को भी समानता के आधार पर जमानत का लाभ दिया जाये।

प्रत्यर्थी/अनावेदक राज्य की ओर से श्री दिनेश पंचोली अपर लोक अभियोजक द्वारा घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

आवेदन पर विचार हेतु सत्र प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आरोपी के विरूद्ध सहअभियुक्तगण सहित आरक्षी केन्द्र महू के अपराध क्रमांक 233/2021 धारा 420, 406, 467, 468, 471, 34 भा.द.सं. के तहत पंजीबद्ध होकर अभियोग पत्र पेश होकर उपार्पण पर प्राप्त होकर विचाराधीन है। फरियादी राजू द्वारा लिखित शिकायत की गयी कि उसकी स्विफ्ट डिजाइर कार क्रमांक एम.पी. 09 टी.ए. 9316 को दिनांक 04.03.2021 को **देवेन्द्र** एवं उसके साथी श्यामसिंह, दीपक रघुवंशी, रितेश वर्मा को किराये से टेक्सी में चलाने के लिए अनुबंध कर प्रतिमाह 30,000/–रूपये के हिसाब से

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-6.pdf

दी थी। अनुबंध देवेन्द्र ठाकुर के नाम से लेख किया था परंतु देवेन्द्र ठाकुर द्वारा किराये के एवज में कोई राशि नहीं दी, वापिस लेने गया तो बोला तुम्हारी गाड़ी को कूट रचित हस्ताक्षर बनाकर महेश रघुवंशी को दो लाख रूपये में गिरवी रख दिया। महेश रघुवंशी से संपर्क किया तो बताया कि गाड़ी देवेन्द्र ने गिरवी रखी है दो लाख रूपये दे देगा तो वापिस कर दूंगा। इसी तरह सादिक खान की स्वीफ्ट डिजायर क्र. डी.एल. 04 सी.ए. 5276, नवाब शाह की स्वीफ्ट क्र. एम.पी. 09 सी.टी. 2542, इमरान खान की ईको क्र. एम.पी.09 सी.के. 8642, जयंतीलाल गुर्जर की स्वीफ्ट क्र. एम.पी. 09 सी.ई. 0517, फारूख शाह की अर्टीगा क्र. एम.पी. 09 सी.एम. 6514, सुरेन्द्र की अर्टिगा कार क्र. एम.एच. 04 जी.डी. 5840, निधि कपूर की स्वीफ्ट कार क्र. एम. पी. 04 एल.ए. 9900, महेश की एस प्रेसो क्र. एम.पी. 09 डब्ल्यु. जी. 1911 प्रथम चरण सोनगरा की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 डब्ल्यु. जी. 7266, जितेन्द्र रघुवंशी की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 सी.वाय. 7012 टीयागो कार क्र. एम.पी. 09 सी.वाय. 2115 व अर्टिगा कार क्र. एम.पी. 09 सी.टी. 3811, आसिफ अली की आई टेन कार क्र. एम.पी. 16 सी.बी. 2798, जितेन्द्र गोयल की टाटा इंडिगो कार क्र. एम.पी. 09 सी.पी. 9388, मनीष चौहान की स्वीफ्ट डिजायर कार क्र. एम.पी. 09 सी.एन. 2139 निलेश की झायलो कार क्र. एम.पी. 04 बी.ए. 5043, फारूख खान की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 सी.आर. 7573, विक्की देशवाल की स्वीफ्ट कार क्र. एम.पी. 09 सी.डी. 8767 के किराये अनुबंध बनाकर अन्य व्यक्तियों को कूट रचित दस्तावेज बनाकर गिरवी रख दिया। फरियादी की शिकायत पर से आरोपी देवेन्द्र सहित सहअभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध होकर अन्वेषण के दौरान अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथन धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत लेख किये गये अभियुक्तगण की जानकारी के आधार पर अभियुक्त देवेन्द्र एवं

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-6.pdf

सहअभियुक्तगण से कई वाहन जप्त होना जप्ती पत्रक से दर्शित है। अभियुक्त देवेन्द्र के मेमोरेण्डम में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वाहन मालिकों की गाडी किराये पर चलाने का अनुबंध बनाकर लेने और तत्पश्चात् गाडियों को अन्य व्यक्तियों को अनुबंध लेखकर फर्जी हस्ताक्षर कर छलपूर्वक स्वयं की गाडियॉ बताकर उनसे पैसा लेकर गिरवी रखने के तथ्य प्रकट किये गये हैं।

अभियुक्त देवेन्द्र की ओर से सहअभियुक्त दीपक, श्यामसिंह एवं अभिषेक को प्राप्त जमानत के आधार पर समानता के आधार पर जमानत का लाभ चाहा गया है। सहअभियुक्त दीपक को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा एम.सी.आर.सी. नंबर 56088/2021 में पारित दिनांक 04.01.2022 के द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया सहअभियुक्त देवेन्द्र ठाकुर के विरूद्ध आक्षेप होने और कोई दस्तावेज नाम से दर्शित न होने और अनुसंधान पूर्ण होने व अभियोग पत्र पेश होने के आधार पर जमानत आवेदन स्वीकार किया गया है। इसी आधार पर सहअभियुक्त श्यामसिंह और अभिषेक के जमानत आवेदन न्यायालय द्वारा स्वीकार किये गये हैं, लेकिन अभियुक्त देवेन्द्र ठाकुर के द्वारा फरियादी व अन्य वाहन मालिकों से वाहनों का अनुबंध कर किराया अदा न कर वाहनों को स्वयं फर्जी दस्तावेज तैयार कर गिरवी रख कर छल और कूट रचना की गयी है। प्रकरण में अभियुक्त देवेन्द्र ठाकुर के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आक्षेप होने से अभियुक्त देवेन्द्र ठाकुर का प्रकरण जमानत प्राप्त सहअभियुक्तगण से भिन्न होकर मुख्य अपराधी है। प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों में अपराध गंभीर प्रकृति का होने से अभियुक्त देवेन्द्र ठाकुर को समानता के आधार पर जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

अतः अभियुक्त **देवेन्द्र ठाकुर** का **प्रथम जमानत आवेदन**

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-6.pdf

पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. (आई.ए.नंबर 05) स्वीकार योग्य न होने से **निरस्त** किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् आरोप तर्क हेतु दिनांक 07.03.2022 को पेश हो।

हस्ता/–

(श्रीमती शशि सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
डा. अम्बेडकरनगर जिला इंदौर म.प्र.

www.ecourtsindia.com

This is a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP09050048582021-orderno-6.pdf